

उपभोक्ता क्लब एवम वाणिज्य परिषद रिपोर्ट

माह- जनवरी, 2023

उपभोक्ता क्लब एवम वाणिज्य परिषद के संयुक्त तत्वाधान में महाविद्यालय में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया 24/12/2022 को श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। प्राचार्य डॉ. लोकबंधु सिंह जी ने बताया की आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के हनन के प्रति जागरूक करने एवं शोषण से बचाने के लिए वर्ष 2017 में प्रदेश के श्रेष्ठ 33 राजकीय महाविद्यालय को चिन्हित कर नवाचार कार्यक्रम शुरू किया गया था। वर्ष 2022 में 100 श्रेष्ठ महाविद्यालयों को पुनः चिन्हित कर उपभोक्ता क्लब का गठन कर नवाचार कार्यक्रम शुरू किया गया जिनमें से राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ को भी यह अवसर प्राप्त हुआ है। इन्होंने उपभोक्ता संरक्षण का स्वरूप, उपभोक्ताओं के अधिकार एवं कर्तव्य तथा अधिनियम के बारे में प्रकाश डाला। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता श्रीमती अलका पारीक, रिसोर्स पर्सन एवम ट्रेनर - SEBI/CDSL/NCFE) ने उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष में निवेश जागरूकता पर विस्तार से व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि कमाई के 30 फीसदी के लिए निवेश की उचित योजना की जानी चाहिए। निवेश क्यों किया जाया उसके लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए उनके अनुरूप विभिन्न पोर्टफोलियो में समयानुसार विविध निवेश किया जाना चाहिए। इस अवसर पर समन्वयक अधिकारी डॉ.पवन कुमार जांगिड़ ने कहा कि महाविद्यालय के इच्छुक 100 विद्यार्थियों द्वारा पंजीकरण फॉर्म भरवाकर उपभोक्ता क्लब का गठन किया गया जिसमें छात्र चिराग सोनी, एम. कॉम. पूर्वार्ध को क्लब का प्रभारी नियुक्त किया गया। सह समन्वयक एवम् वाणिज्य परिषद प्रभारी भजनलाल ने परिषद के अभिमुखी कार्यक्रम में उपभोक्ता संरक्षण के विधानों में 1986 एवम 2019 पर विस्तृत चर्चा की। इन विधानों में उपभोक्ता को उपलब्ध अधिकारों एवम दायित्वों पर विस्तृत चर्चा की। उपभोक्ताओं को प्राप्त एक निश्चित कीमत के बदले सेवा या उत्पाद में दोष होने पर परिवेदनाओं के निवारण हेतु उपलब्ध मंच एवम परिषदों पर चर्चा की तथा परिवेदनाओं के निवारण हेतु वैधानिक परिषदों शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के बारे में बताया। जिसे ऑनलाइन ई दाखिल के द्वारा दर्ज कराया जा सकता है। उन्होंने कहा की यह पहल क्लब से जुड़े छात्रों एवम वाणिज्य वर्ग से शामिल छात्रों के लिए अपने अधिकारों को जानने में सहयोग करेगी। सभी सदस्यों को उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित कार्यक्रमों में भाग लेना है और प्राप्त जानकारी को अपने साथी विद्यार्थियों को देना तथा समाज में उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित जानकारी

को प्रसारित करना है। कार्यक्रम प्रभारी डॉ पवन कुमार जांगिड़ ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर वरिष्ठ संकाय सदस्य जेपी शुक्ला ,वंदना माथुर ,जितेंद्र सिंह बिका, जीतेश जांगिड़, अब्दुल रसीद संकाय सदस्य उपभोगता क्लब के छात्र प्रभारी चिराग सोनी भी उपस्थित रहे।

भजन लाल

(डॉ सत्यदेव सिंह)

प्रभारी

प्राचार्य

उपभोगता क्लब एवम् वाणिज्य परिषद



विद्यार्थियों को उपभोक्ता दिवस पर दी जानकारी



मदनगंज-किसानगढ़ राजकीय आरके पाटनी कॉलेज में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ता को उनके अधिकारों के हनन के प्रति जागरूक करने व शोषण से बचाने के लिए वर्ष 2017 में प्रदेश के श्रेष्ठ 33 राजकीय कॉलेज को चिह्नित कर नवाचार कार्यक्रम शुरू किया था। वर्ष 2022 में कॉलेजों में फिर से चिह्नित किया गया। राजकीय महाविद्यालय किसानगढ़ को भी यह अवसर प्राप्त हुआ है। प्राचार्य डॉ. लोकबंधु सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में उपभोक्ता संरक्षण का स्वरूप, उपभोक्ताओं के अधिकार एवं कर्तव्य तथा अधिनियम के बारे में प्रकाश डाला। कमाई के 30 फीसदी के लिए निवेश की उचित योजना की जानकारी होना जरूरी। इसी तरह राजकीय महिला कॉलेज में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

100 विद्यार्थियों के फॉर्म भरवाकर उपभोक्ता क्लब का किया गठन : समन्वयक अधिकारी डॉ. पवन कुमार जांगिड़ ने बताया कि महाविद्यालय के इच्छुक 100 विद्यार्थियों द्वारा पंजीकरण फॉर्म भरवाकर उपभोक्ता क्लब का गठन किया गया। छात्र चिराग सोनी को क्लब का प्रभारी नियुक्त किया गया। सह समन्वयक डॉ. भजनलाल ने उपभोक्ता संरक्षण के विधानों में 1986 व 2019 पर विस्तृत चर्चा की। इन उपभोक्ता संरक्षण के विधानों में 1986 व 2019 पर विस्तृत चर्चा की। इन विधानों में उपभोक्ता को उपलब्ध अधिकारों व दायित्वों पर चर्चा की। इस अवसर पर वरिष्ठ संकाय सदस्य जेपी शुक्ला, वंदना माथुर, जितेंद्र सिंह, जीतेश जांगिड़, अब्दुल रशीद, संकाय सदस्य उपभोक्ता क्लब के छात्र प्रभारी चिराग सोनी